तारीख हुक्म	कुमली देवी बनाम सुमोद्दमल हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा०पत्र 251 RTA मु.नं. — 49/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
10.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रार्थीगण की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली दिनांक 04.11.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम लीला की ढ़ाणी पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 1702 कुल रकबा 3.3100 हैक्टर भूमि का प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होकर पुख्ता रिहायशी मकानात बनाकर मय परिवार रिहायश करता आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में आवागमन व अपने साधन वाहन ट्रक, ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने व ले जाने हेतु एकमात्र रास्ता 10 फुट चौड़ाई का अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1665 रकबा 2.15 हैक्टर में से होकर नजरी नक्शा में दर्शितानुसार लाल स्याही से कदीम से चला आ रहा है प्रार्थीगण के भूमियों में आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमियों में आवागमन के लिए लघुत्तम व निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 की भूमि खसरा नम्बर 1665 रकवा 2.15 हैक्टर में से 10 फुट चौड़ाई का एकमात्र रास्ता प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमियों के लगने वाला अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थी देवी बनाम प्रयोजन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	
	क्रमांक 25/RTA ... 4/9/2025	

में किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त आवेदित रास्ते में लगने वाली भूमियों की एवज में अप्रार्थीगण को नियमानुसार डी.एल.सी. दरों से विधि द्वारा प्रावधित नियमों के तहत राशि अदा करने हेतु प्रार्थी तत्पर है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में उक्त रास्ते से आवागमन करते आ रहे है तथा अपने साधन वाहन इत्यादि को काश्त कार्य एंव कृषि उपज आदि को बाजार में लाने ले जाने हेतु काम में ले रहे है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से आते जाते रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में जाने के लिए नहीं है। उक्त रास्ता ही लघुत्तम व निकटतम रास्ता है। जिसे राजस्व रिकार्ड व नक्शें में रास्ते के रूप में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। जिस पर प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड डाक तलब किया गया लेकिन बावजूद विधिवत तामिली के कोई उपस्थिति नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीयक कार्यवाही अमल में लाई गई। इस सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रास्ते के सम्बन्ध में वस्तुरिथति की रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 557/राजस्व/2019 दिनांक 26.03.2019 के द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट में प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1702 में आवागमन हेतु लघुत्तम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1703 व 1665 की मेड से होकर खेत खसरा नम्बर 1703 में से 132 मीटर लम्बाई में व 4 मीटर चौड़ाई में कुल 528 वर्गमीटर भूमि रास्ते के लिए नजरी नक्शा में प्रस्तावित की है। उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1662 में स्थित आम रास्ता से मिलता है। प्रार्थीगण वर्तमान में प्रचलित डी.एल.सी. दरो सें अप्रार्थीगण को भुगतान किये जाने हेतु सहमत होना अपनी बहस में निवेदन किया है।

हमने बहस वकील प्रार्थीगण पर सगौर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से विदित है कि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1702 में मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है उक्त भूमियों में प्रार्थीगण ने पुख्ता मकानात आदि बना रखे है प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमियों में आवागमन के लिए लघुत्तम एंव निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1703 व 1665 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

[illegible] देवी बनाम [illegible]

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्र०पत्र 251 RTA मु० नं० 45/2025	

मेड से खेत खसरा नम्बर 1703 में से होकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये नजरी नक्शें में दर्शित किया गया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण अपने निजी आराजीयात में जाने हेतु वर्तमान में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना एंव ना ही वैकल्पिक रास्ता ही उपलब्ध होना तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही लघुत्तम व निकटतम होना प्रकट होता है। उक्त रास्ते हेतु वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ता की भूमि की वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों की दुगुनी कीमत से राशि का भुगतान किये जाने बाबत सहमति व्यक्त करते हुए प्रार्थीगण को इसी अनुसार रास्ता देने हेतु सहमत होना प्रकट होता है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एंव राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। प्रार्थीगण ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि के बदले वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों की दुगुनी कीमत से राशि का भुगतान किये जाने बाबत सहमति व्यक्त किये जाने बाबत अवगत कराया गया है। अतः प्रार्थीगण के पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी [illegible] जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध [illegible] कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत का सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा मुख्य सड़क व मुख्य आबादी से निकटतम /लघुत्तम होने के कारण प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थी द्वारा 4 मीटर चौड़ाई में चाहे गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गए रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम —1955 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1702 रकबा 3.3100 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम लीला की ढ़ाणी पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में आवागमन हेतु रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1703 व 1665 तन् ग्राम लीला की ढ़ाणी पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से होकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये नजरी नक्शा में दर्शितानुसार 1703 व 1665 की मेड से होकर खेत खसरा नम्बर 1703 में से 132 मीटर लम्बाई में व 4 मीटर चौड़ाई में कुल 528 वर्गमीटर रास्ता जिसके बदले में रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि का वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों की दुगुनी कीमत से राशि का भुगतान किया जायेगा। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार रास्ते के रूप में जाने वाली भूमियों का वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी दरों की दुगुनी किमत से राशि की गणना की जाकर प्रार्थी से राजकोष में जमा ली जाकर अप्रार्थीगण को राशि का नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावें तथा रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि खसरा नम्बर 1703 में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये नजरी नक्शा में दर्शि[illegible] 132 मीटर लम्बाई में व 4 मीटर चौड़ाई में कुल 528 वर्गमीटर [illegible] स्याही से दर्शित रास्ता कायम कर रिकार्ड में दर्ज करें। उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियॉ बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(सीकर)

कमली देवी बनाम कजोड़मल

म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्र०पत्र 25	R 9A मु०नं:- 49/2025	

खातेदारी से रकबा रास्ता कम करने के बाद खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा को निर्णय का भाग बनाया जाता है। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदारान् के हिस्से पर यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जाकर तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested